न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 04/2012 (225 आर. टी. एक्ट)

उनवान

गीता पत्नि सुरेश चन्द जाति जाटव निवासी ग्राम टहरी तहसील सैपऊ।

.....अपीलांट।

बनाम

1. लक्ष्मी पत्नि थान सिंह पुत्री विष्णु जाति जाटव निवासी ग्राम टहरी तहसील सैपऊ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दिनांक 04.01.2012 उनवानी लक्ष्मी बनाम पातुरा मु0न0 89/11

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री राजेन्द्र सिंह राणा उपस्थित।
2. रैस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 13.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के आदेश दिनांक 04.01.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/वादिया की ओर से अपने दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम टहरी का पुरा एवं टहरी तहसील सैंपऊ के खातेदार काश्तकार रैस्पो0/वादिया के पिता विसनू थे। उनकी मृत्यु उपरान्त विसनू का तर्का विरासतन रैस्पो0/वादिया एवं पुत्र हटीला उर्फ हरविलास ने प्राप्त किया। परन्तु हटीला उर्फ हरविलास ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजी का नामान्तकरण अकेले अपने नाम करा लिया। जिसकी जानकारी रैस्पो0/वादिया को हुई तो हटीला ने एक वसीयतनामा रैस्पो0/वादिया एवं अपनी पत्नि पातुरा के नाम तहरीर करा दिया। पातुरा एक मन्दबुद्धि औरत है जिसका नाजायज फायदा उठाकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी के पति ने मृतक हटीला की मृत्यु बाद विवादित आराजी पर केवल पातुरा के नाम नामान्तकरण दर्ज करा कर, अपने नाम फर्जी विक्रय पत्र करा लिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वह रैस्पो0/वादिया को उनके हकूको से वंचित करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालयय ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई ताफैसला कन्फर्म कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थित हैं। उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है, जो काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय में अभी दावा लम्बित है। जिसमें पक्षकारों के हक व हकूक साक्ष्य से तय होने हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु तय मानकों की पूरी अनदेखी कर पूरी तरह नॉन स्पीकिंग एवं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओं का विश्लेषण नही किया है एवं एक लाईन का आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह अंकन किया है कि प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। परन्तु क्या अस्थाई निषेधाज्ञा पुष्ट की है यह अंकित नही है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदुओं पर ही कोई विवेचन की गयी है। इस प्रकार स्पष्टतः अपीलाधीन निर्णय नॉन–स्पीकिंग होने से अपास्त योग्य है। लिहाजा हम अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ नयायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर का निर्णय दिनांक 04.01.2012 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पुनः उभयपक्ष की सुनवाई कर सकारण विवेचनात्मक आदेश पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.07.2018 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official